रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—14 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—14

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ ज्येष्ठ 7, 1936 (शक)
No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JAISTHA 7, 1936 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28th May, 2014/*Jaistha* 7, 1936 *(Saka)*

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

No. 3 OF 2014

[*28th May*, 2014.]

Promulgated by the President in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Ordinance may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014.

(*2*) It shall come into force at once.

Amendment of section 5.

2. In the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, in section 5,— 24 of 1997.

(*i*) for sub-section (*8*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*8*) The Chairperson and the whole-time members shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office as such, except with the previous approval of the Central Government, accept—

(*a*) any employment either under the Central Government or under any State Government; or

(*b*) any appointment in any company in the business of telecommunication service.";

(*ii*) the *Explanation* at the end shall be omitted.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

P.K. MALHOTRA,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2014.

GMGIPMRND—327GI(S3)—28-05-2014.

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014

(2014 का अध्यादेश संख्यांक 3)

[28 मई, 2014]

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ।

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

संसद् सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 5 में,- 1997 का 24

(i) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(8) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, ऐसी तारीख से जिसको वे इस प्रकार पद पर नहीं रह गए हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय,-

(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन; या

(ख) दूर-संचार सेवा के कारबार में किसी कंपनी में कोई नियुक्ति,

स्वीकार नहीं करेंगे ।";

(ii) अंत में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति ।

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार ।